रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3381] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 2019/आश्विन 23, 1941
No. 3381] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2019/ASVINA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2019

आय-कर

का.आ. 3719(अ).—केन्द्रीय सरकार,आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194द्ध के परंतुक के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात यह विनिर्दिष्ट करती है कि,-

(क) प्राधिकृत डीलर तथा इसके फ्रेंचाइजी अभिकर्ता और उप-अभिकर्ता; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त पूर्ण रूप से धन परिवर्तक (फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स) (एफएफएमसी) तथा उनके फ्रेंचाइजी अभिकर्ता;

जो एक पृथक बैंक खाता अनुरक्षित करते हैं, जिससे केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही धन निकासी की जाती है,-

(i) विदेशी पर्यटकों या भारत आने वाले अनिवासियों या निवासी भारतीयों से उनके भारत वापसी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार नकद में विदेशी मुद्रा की खरीद ; या

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के धन अन्तरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अधीन भारत में प्राप्तिकर्ता फायदाग्रहियों को नकद में आवक प्रेषणों का वितरण;

और ऐसे प्राधिकृत डीलर्स तथा उनके फ्रेंचाइजी अभिकर्ता तथा उप-अभिकर्ता और पूर्ण रूप से धन परिवर्तक (एफएफएमसी) और उनके फ्रेंचाइजी अभिकर्ता द्वारा बैंक को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि धन की निकासी केवल उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकृत डीलर" से अभिप्रेत विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत डीलर के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति है।

2. यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुयी समझी जाएगी ।

[अधिसूचना सं. 80/2019/फा. सं. 370142/12/2019-टीपीएल (भाग-2)]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.